संख्या: 102/2017/1206/छप्पन-2017-4/2009

प्रेषक,

सूर्य पाल गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : 20 दिसम्बर, 2017

विषय :नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/सुदृढीकरण/ विस्तारीकरण/पुनर्निर्माण आदि कार्यों के लिए अवशेष 05 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1450/ना0उ0नि0/हैंगर नं0-2, दिनांक 18 अगस्त, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नागरिक उड्डयन विभाग, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण/ विस्तारीकरण/पुनर्निर्माण आदि कार्यों को कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ से कराए जाने हेतु उनके द्वारा गठित आगणन के सापेक्ष शासनादेश संख्या-19/2015/432/छप्पन-2015-4/2009 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा रूपये 2823.59 लाख की लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त, द्वितीय किश्त एवं तृतीय किश्त के रूप में कुल रूपये 2681.98 लाख (रूपये छब्बीस करोड़ इक्यासी लाख अठ्ठानबे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजना का कार्य 100 प्रतिशत पूर्ण कर योजना मार्च, 2017 में हस्तांतरित की जा चुकी है। अत: अब बकाया 05 प्रतिशत धनराशि रूपये 141.61 लाख (रूपये एक करोड़ इकतालीस लाख इकसठ हजार मात्र) की स्वीकृति प्रदान की जानी है। अत: राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2017-18 में लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ स्थित हैंगर संख्या-2 के जीर्णोद्धार/सुदृढ़ीकरण/ विस्तारीकरण/ पुनर्निर्माण आदि कार्यों के लिए कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रूपये 141.61 लाख (रूपये एक करोड़ इकतालीस लाख इकसठ हजार मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

----2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- शासनादेश संख्या-19/2015/432/छप्पन-2015-4/2009, दिनांक 27-03-2015 में उल्लिखित सभी शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-38 के पूँजीलेखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पटिटयों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

4- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के क्रम में जारी की जा रही है।

भवदीय,
सूर्य पाल गंगवार
विशेष सचिव।

पृ0सं0: 102/2017/1206(1)/छप्पन-2017-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0111 आडिट भवन, टी0सी0-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- महाप्रबन्धक, कान्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- नियोजन अनुभाग-5
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।